राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

2009–2010

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2009 – 2010

प्रस्तावना :

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि गतिशील विक्रय कर विधान की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से इसका नाम परिवर्तन कर **'राजस्थान कर बोर्ड'** कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। यह संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये है जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित द्वितीय अपील सुनने के अधिकारता प्रदान की गयी है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्या 6) के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के अनुसार आबकारी मामलों में पूर्व में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलें/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है।

3.0 *गठन :*

वर्तमान में कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य पदस्थापित हैं। अध्यक्ष, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव (राज्य के प्रमुख शासन सचिव के समकक्ष) स्तर का अधिकारी होता है। बोर्ड के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 9(7)(क) के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। इस सम्बन्ध में चयन आदि की प्रक्रिया नियम 9 के प्रावधानानुसार है।

3.1 कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत हैं।

3.2 सहायक रजिस्ट्रार का पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग का है इस पद पर दिनांक 11.7.1994 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत है।

3.3 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री बी. के. मीणा	अध्यक्ष	26.04.2007 से निरन्तर .....
2.	श्री जी. आर. मूलचन्दानी	सदस्य	11.12.2009 से निरन्तर .....
3.	श्री ओ. पी. सहारण	सदस्य	08.10.2008 से निरन्तर .....
4.	श्री एस. आर. कटारिया	सदस्य	31.07.2009 से निरन्तर .....
5	श्री एच. एल. पाण्डे	सदस्य	31.07.2009 से निरन्तर .....
6.	श्रीमती इलोरा बागची	रजिस्ट्रार	23.09.2004 से निरन्तर .....
7.	श्रीमती सीमा शर्मा	सहा. रजिस्ट्रार	26.08.2009 से निरन्तर .....

4.0 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	1	–
2	सदस्य	4	4	–
3	रजिस्ट्रार	1	1	–
4	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	–
5	सहायक लेखाधिकारी	1	1	–
6	निजी सचिव	2	2	–
7	निजी सहायक	1	1	–
8	स्टेनोग्राफर	2	1	1
9	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–
10	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	–
11	कार्यालय अधीक्षक	1	1	–
12	कार्यालय सहायक	2	2	–
13	वरिष्ठ लिपिक	6	6	–
14	कनिष्ठ लिपिक	12	12	–
15	वाहन चालक	4	4	–
16	जमादार	1	1	–
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12	11	–
18	प्रोसेस सरवर	3	3	–
योग		**56**	**55**	**1**

5.0 बजट स्थिति :

वर्ष 2009–2010 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन	दिसम्बर, 2009 तक (रू.) व्यय
1	संवेतन	2,00,00,000	1,49,01,998
2	यात्रा भत्ता	4,00,000	2,92,620
3	चिकित्सा व्यय	3,50,000	2,99,795
4	वाहन संधारण	3,50,000	2,46,624
5	कार्यालय व्यय	14,00,000	9,91,617
6	पुस्तकालय	1,50,000	77,914
7	वाहन किराया	1,50,000	1,07,550
8	संविदा व्यय	3,82,000	2,86,641
9	वाहन क्रय	5,50,000	5,09,424
10	अंशदायी पेशन योजना	12,000	8,515
11	वर्दी	11,000	–

6.0 पुस्तकालय :

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय बैंचों एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 6917 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 वर्षवार प्रकरणों की स्थिति :

वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वाद	2007 (दिनांक 31.12.07)	2008 (दिनांक 31.12.08)	2009 (दिनांक 31.12.09)
1.	बकाया प्रकरण	5240	5645	6079
2.	दायर प्रकरण	2723	2628	1875
3.	निस्तारित प्रकरण	2318	2194	1435
4.	शेष प्रकरण	5645	6079	6519

वर्ष 2008 व 2009 में प्रकरणों के कम निष्पादन का कारण सदस्यों के पदों का खाली रहना है। कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। विक्रय कर के जिन प्रकरणों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में यह राशि पांच लाख से अधिक है उन प्रकरणों की तथा आबकारी से संबंधित समस्त वादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा एवं स्टाम्प एक्ट एवं भूमि कर से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहद्पीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2009–10 के दौरान दिसम्बर, 2009 तक प्रकरणों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :–

1.1.2009 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	शेष प्रकरण
903	5176	6079

माह	दायर प्रकरण		निस्तारित प्रकरण		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
जनवरी	38	86	30	124	911	5138	6049
फरवरी	60	145	21	100	950	5183	6133
मार्च	80	81	33	139	997	5125	6122
अप्रेल	47	123	03	20	1041	5228	6269
मई	35	66	–	55	1076	5239	6315
जून	35	103	09	57	1102	5285	6387
जुलाई	31	113	06	56	1127	5342	6469
अगस्त	53	60	15	118	1165	5284	6449
सितम्बर	61	136	48	137	1178	5283	6461
अक्टूबर	30	118	34	84	1174	5317	6491
नवम्बर	53	126	11	164	1216	5316	6532
दिसम्बर	30	108	42	109	1204	5315	**6519**

9.0 अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ के कैम्प जयपुर में योजना भवन में आयोजित किये जाते है। जिसमें मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुंनू, दौसा, एवं चूरू जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं अपीलार्थीयों की सुविधा हेतु जोधपुर/उदयपुर मे भी त्रैमासिक रूप से एक सप्ताह के लिए एकलपीठ आयोजित की जा रही है।

---------- ----------